दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 12-06-2025

युक्तियुक्तकरण की 70 से अधिक याचिकाएं जिला स्तरीय समिति में अर्जी दें शिक्षक : कोर्ट

13 जून तक देना होगा अभ्यावेदन, समिति को 16 जून तक निर्णय लेने के निर्देश

लीगल रिपोर्टर | बिलासपुर

युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए बड़ी संख्या में शिक्षकों ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की सिंगल बेंच में बुधवार को 70 से अधिक याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने शिक्षकों को 3 दिनों के भीतर जिला स्तरीय समिति में अभ्यावेदन देने को कहा है। समिति को 16 जून तक इस पर निर्णय लेने को कहा गया है। गुरुवार को 300 से अधिक मामलों पर सुनवाई होगी।

प्रदेश में हुए युक्तियुक्तकरण को लेकर शिक्षकों में असंतोष है। काउंसिलिंग के बाद पोस्टिंग का आदेश जारी किया जा चुका है। इधर, बड़ी संख्या में शिक्षकों ने अलग- अलग अधिवक्ताओं के जरिए हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। याचिका में विभिन्न आधार पर राहत की मांग की गई है। एक शिक्षक ने बताया कि सीनियर होने के बाद भी जूनियर को बचाने उन्हें अतिशेष बता दिया गया। एक अन्य मामले में वर्ष 2018 से सेवारत शिक्षक की पोस्टिंग 45 किमी दूर के स्कूल में कर दी गई है। अंग्रेजी व भूगोल पढ़ाने वाले शिक्षक को अतिशेष बताते हुए यही विषय पढ़ाने नई शिक्षिका नियुक्त कर दी गई।

जॉइन नहीं करने वाले शिक्षकों को आंशिक राहत

हाई कोर्ट ने तबादला आदेश जारी होने के बाद अब तक जॉइन नहीं करने वाले शिक्षकों को आंशिक राहत दी है। शिक्षकों को तीन दिन के भीतर जिला स्तरीय समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी है। कोर्ट ने कहा है कि यह राहत केवल उन शिक्षकों को मिलेगी जिन्होंने युक्तियुक्तकरण के बाद अब तक जॉइन नहीं किया है। हालांकि जॉइन कर चुके याचिकाकर्ता शिक्षक भी जिला समिति के समक्ष अभ्यावेदन दे सकते हैं।